

## रघुराज राजेन्द्रन आई.ए.एस.

आयुक्त म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन



अर्द्ध शास. पत्र क्रमांक <u>66</u> दिनांक 19/7/2016

# Dear Collector ( by name),

## विषय — भारत शासन के संयुक्त सचिव का सन्देश।

कृपया संलग्नक संदेश का अवलोकन करने का कष्ट करें जो भारत शासन के संयुक्त सचिव के द्वारा भेजा गया है, जिसमें आगामी किश्त के लिए जरूरी कार्यों का जिक्र किया गया है।

आपके कार्यक्षेत्र में निम्न कार्य सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन भेजने का कष्ट करें ताकि भारत शासन से आगामी किश्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की देरी न हो:

- 1. सभी जारी जॉब कार्ड का अद्यतन कर सत्यापन होना सुनिश्चित करें।
- 2. सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत किये गए कार्यों का समुचित सूचना फलक होना सुनिश्चित करें।
- 3. मार्च 2015 के पूर्व के सभी कार्य सितम्बर 2016 के पूर्व पूर्ण होना सुनिश्चित किया जाएं।
- 4. सभी ग्राम पंचायतों में स्थायी सम्पत्ति पंजी संधारित होकर सूचनाwww.nrega.nic.in दर्ज हो जाए.

इन सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में आप कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन दिनांक 15.08.2016 के पूर्व परिषद् में प्राप्त होना सुनिश्चित कीजिए।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

Warm Regards,

भवदीय

(रघराज राजेन्द्रन)

श्री / सृश्री.....

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम—म.प्र., समस्त जिले (मध्य प्रदेश) पृ०क्रमांक **/ ८ (** MGNREGS-MP/2016 प्रतिलिपि :

भोपाल, दिनांक 19/7/2016

1. संभागायुक्त, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश,

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला समन्वयक,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.,जिला पंचायत समस्त

आयुक्त १४१७१।७ भ म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद

#### @All dear colleagues from states

As always, it was a pleasure interacting with most of you during the Performance Review Committee meeting of the Ministry yesterday. There is, indeed, a positive environment created around MGNREGA. The thing that stands out clearly during our interactions is the spirit of bonhomie existing all around and the fact that the Ministry and the states are working in tandem with good deal of trust and understanding. This is essential for any programme, specially for a programme of the magnitude of MGNREGA. Thank you for all your support, understanding and cooperation. While we have been able to bring MGNREGA back on track and ensure its revival, we have miles to go.

Pl allow me to reiterate that we need to focus on the following issues in the next three months ,which ,as we know, is a slack season---

A )Job card updation-Attestation of photographs and updation of entries of the number of days the HH has worked.

B) Completion of incomplete works as on 31.3.2015-

May pl see the LB minutes and the MIS. Whatever the incomplete works, they may be analysed and a targetted approach be adopted to bring the number down substantially.

C) Asset Register in all GPs in the prescribed format-

Almost 1 lakh GPs are having it now. We need to cover the rest in a campaign mode. Of course, these Registers have to be updated from time to time.

D)Develop models of Information Display Boards at the worksite on the lines of Jharkhand and ensure that it is made part of the estimates. Prospectively all worksites must have this Board. Instructions must be issued to the authorities below and adherence to instructions ensured.

Slightly unpleasant but the fact remains that we would require a certificate to the effect that all four have been ensured while releasing funds in October,2016. This is mandatory. Our Finance Division is on board and will certainly require compliance.

I request you to kindly take appropriate steps at this juncture in this regard.

### एजेंडा - 07

मूल प्रशासनिक व्यय एवं सामाजिक अंकेक्षण व्यय कुल खर्च के आधार पर न करने के संबंध में

 महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में प्रशासनिक व्यय योजना व्यय के 6 प्रतिशत राशि से किए जाने का निर्देश है। उपरोक्त राशि में से ही सामाजिक अंकेक्षण हेतु 0.5 प्रतिशत दिये जाने का निर्देश है।

भयोजना अधिकार आधारित है।

- योजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मूल प्रशासनिक ढांचा एवं सामाजिक अंकेक्षण का व्यय योजना अंतर्गत किए जा रहे व्यय के आधार पर करने से Conflict of Interest उत्पन्न होता है।
- अतः उपरोक्त व्यय कुल खर्च के प्रतिशत के आधार पर न होकर निश्चित संख्या प्रावधानित किये जाने का अनुरोध भारत शासन को भेजा जाना प्रस्तावितः है।

